सूचना का अधिकार

अति आवश्यक / रजिस्टर्ड

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांकः–**एफ 4(367) सू.अ. / पंरावि / 2020 /** 505   **जयपुर, दिनांकः–** 10/07/2020

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक एफ4( ) परावि / प्र.2 / सू0अ0 / 05 / 3442 दिनांक 24.09.2007 के द्वारा विभाग के अधिनस्थ लोक प्राधिकरणों पंचायती राज संस्थाओं (जिला परिषद् / पंचायत समिति / ग्राम पंचायत) में लोक सूचना अधिकारी एवं अपील अधिकारी नियुक्त किये गये थे।

उक्त लोक प्राधिकरणों में नियुक्त प्रथम अपील अधिकारी निर्वाचित जनप्रतिनिधि (जिला प्रमुख / प्रधान / सरंपच) है। वर्तमान में, कुछ पंचायती राज संस्थानों के चुनाव स्थगित होने व पूर्व जन प्रतिनिधियों के कार्यकाल पूर्ण हो जाने के कारण उक्त संस्थानों में प्रशासक नियुक्त है एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी / विकास अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी को ही इनके संबंधित लोक प्राधिकरणों में प्रशासक नियुक्त किया गया है। इस स्थिति में प्रथम अपील अधिकारी(प्रशासक) एवं लोक सूचना अधिकारी एक ही पदाधिकारी व्यक्ति होने के कारण निम्न अधिकारियों को उनके समक्ष लिखे गये लोक प्राधिकरणों का अपील प्राधिकारी नियुक्त किया जाता है।

क0 सं0	लोक प्राधिकरणों का नाम	लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपील अधिकारी
01.	जिला परिषदों के लिए	संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्	संबंधित जिला कलेक्टर
02.	पंचायत समितियों के लिए	संबंधित विकास अधिकारी, पंचायत समिति	संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्
03.	ग्राम पंचायतो के लिए	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत	संबंधित विकास अधिकारी, पंचायत समिति

उक्त आदेश केवल उन्हीं पंचायती राज संस्थानों में लागू होंगे जिनमें चुनाव अदिनांक तक लंबित है तथा चुनाव हो जानें एवं निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण कर लेने तक ही प्रभावी रहेंगें।

सिद्धार्थ

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग जयपुर।
3. जिला कलक्टर समस्त ।
4. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद.............. को पालनार्थ प्रेषित है।
5. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति......................को पालनार्थ प्रेषित है।
6. ऐनालिंसिस्ट कम प्रोग्रामर (ACP), पंचायती राज विभाग मुख्यालय को आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने के क्रम में ।
7. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (द्वितीय)